औद्योगिक एवं वेयरहाउसिंग भूखण्डों हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (EOI) के संबंध में दिशा निर्देश।

1. ई–बिडिंग (**Tender Cum Auction (e-Forward Auction) पद्धति से**) हेतु उपलब्ध भूखण्डों को माह की **01 तारीख (समय प्रातः 11:00 बजे) से 15 तारीख (समय सांय 05:00 बजे तक)** की समयावधि में **https://mptenders.gov.in/** पोर्टल पर निविदा क्रय करने एवं जमा करने की प्रारम्भिक एवं अंतिम तिथि एवं समय होगा। उक्त समयावधि में इच्छुक निवेशक द्वारा भूखण्ड विशेष हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (EOI) पोर्टल पर दर्ज कराये जा सकते हैं।

2. निवेशक द्वारा एमपीआईडीसी द्वारा निर्धारित **आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित)** को एमपी टेंडर पोर्टल पर **टेंडर फीस** (Tender Fees) एवं पोर्टल की सुविधा उपयोग करने हेतु पृथक से पोर्टल चार्जेस (Portal Charges) भी जमा करना होगा, जो कि वापिसी योग्य नहीं होगा।

3. निवेशकों द्वारा एमपीआईडीसी द्वारा निर्धारित भूखण्ड विशेष हेतु प्रब्याजी की 25 प्रतिशत राशि ईएमडी (EMD) के रूप में एमपी टेंडर पोर्टल पर जमा करनी होगी।

4. ई–बिडिंग के लिए बेस प्राइस भूखण्ड की प्रचलित प्रब्याजी एवं विकास शुल्क का योग होगा। न्यूनतम बिड राशि बेसप्राईस के अतिरिक्त **रू. 1,00,000/–** होगी, तदोपरान्त **रू 25,000/–** के गुणज (Multiple) में बिड राशि बढ़ाई जा सकेगी तथा ई–बिडिंग हेतु एक बार में अधिकतम quoted राशि बेस प्राइस के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

5. भूखण्ड विशेष हेतु निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर कोई भी EoI आवेदन प्राप्त ना होने की स्थिति में भूखण्ड को पोर्टल पर पुनः आवंटन हेतु उपलब्ध कराये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

6. भूखण्ड विशेष हेतु एक मात्र EoI आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में भूखण्ड को आवेदक हेतु आरक्षित (बुक) किया जायेगा एवं भू–आवंटन संबंधी समस्त शेष कार्यवाही प्रचलित भू–आवंटन नियमों के अनुसार की जायेगी।

7. उपरोक्त बिन्दु क्र. 6 अनुसार सफल आवेदक द्वारा आवेदन के निरस्तीकरण के अनुरोध किए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गई अग्रिम प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत एवं आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित) का कटौत्रा किया जाकर शेष राशि वापिस की जायेगी।

8. यदि किसी भूखण्ड हेतु एक से अधिक आवेदकों द्वारा EoI आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में भूखण्ड विशेष हेतु ई–बिडिंग प्रक्रिया **https://mptenders.gov.in/ पोर्टल पर Tender Cum Auction (e-Forward Auction) पद्धति** से प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा निर्धारित दिनांक को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की जायेगी। अंतिम 15 मिनट में (दोपहर 11:45 से 12:00 बजे के बीच) में आवेदक से बिड प्राप्त होने की स्थिति में बिड अवधि 15 मिनट की अवधि हेतु ऑटो–एक्सटेंड हो जायेगी तदोपरांत प्रत्येक बिड प्राप्ति पर उक्त प्रक्रिया जारी रहेगी।

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
MPIDC
BHOPAL

9. भूखण्ड विशेष हेतु पोर्टल पर EoI प्रस्तुत करने वाले आवेदक ही संबंधित भूखण्ड विशेष के आवंटन संबंधी ई–बिडिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य होंगे।

10. ई–बिडिंग प्रक्रिया में भाग ना लिए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गई पूर्ण राशि (आवेदन शुल्क एवं GST काटकर) वापस कर दी जायेगी।

11. भूखण्ड विशेष हेतु पोर्टल पर 01 से अधिक EoI प्राप्त होने के उपरांत यदि एक आवेदक को छोड़कर शेष समस्त आवेदकों द्वारा ई–बिडिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त आवेदक द्वारा बिड राशि का भुगतान निर्धारित समयावधि में किये जाने की दशा में उक्त भूखण्ड आवेदक हेतु आरक्षित (बुक) किया जायेगा।

12. भूखण्ड विशेष हेतु सफल आवेदक द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत प्रीमियम राशि का समायोजन, आवेदक को भूखण्ड विशेष हेतु एमपीआईडीसी के इन्वेस्ट पोर्टल **invest.mp.gov.in** से जारी आशय पत्र (Letter of Intent) में किया जायेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सफल आवेदक को संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व से कोई भूखण्ड आवंटित है तो ऐसी स्थिति में प्रब्याजी की गणना नियम की कण्डिका क्रमांक 10(1)(ब) अनुसार स्लेब (***टेलिस्कोपिक***) पद्धति अनुसार की जायेगी।

13. यदि सफल आवेदक द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया के दौरान भूखण्ड विशेष के निरस्तीकरण हेतु आवेदन किये जाने अथवा भूखण्ड विशेष की सम्पूर्ण भूमि आवंटन प्रक्रिया उपरांत समर्पण किये जाने की दशा में आवंटन योग्य उपलब्ध उक्त भूखण्ड हेतु पुनः ई–बिडिंग प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. आवेदक के भूखण्ड की आवश्यकता एवं क्षेत्रफल का आंकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी के अभिमत के आधार पर आवंटन को निरस्त करने के अधिकार प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी को होंगे। उदाहरणार्थ :–

I- इकाई द्वारा आवेदित भूमि की उपयोगिता/प्रस्तावित निवेश/अन्य किसी कारण से अपात्र होने पर।

II- इकाई द्वारा सामान्य औद्योगिक भूखण्ड पर नियम के **परिशिष्ट–ए** अनुसार अतिप्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी की औद्योगिक गतिविधि हेतु आवेदन करने पर।

III- इकाई द्वारा नियम के **परिशिष्ट–बी** अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधि हेतु आवेदन करने पर।

IV- किसी अन्य प्रकार से वादविवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर।

उक्त निरस्तीकरण उपरांत इकाई को नियम की कण्डिका क्रमांक 12(ii)(ब) अनुसार आवेदन शुल्क तथा जीएसटी एवं जमा प्रब्याजी का 10 प्रतिशत कटौत्रा कर राशि रिफण्ड की जायेगी।

15. ई–बिडिंग प्रक्रिया के सफल आवेदकों को बिड राशि (बेसप्राईस को छोड़कर) 07 दिवस की समयावधि में एमपीआईडीसी **invest.mp.gov.in** पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करना होगा।

16. ई–बिडिंग प्रक्रिया के सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु बिड राशि निर्धारित समयावधि में जमा ना किए जाने अथवा आवेदन के निरस्तीकरण के अनुरोध किए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गई अग्रिम प्रब्याजी राशि का 10 प्रतिशत एवं आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित) कटौत्रा कर राशि वापिस की जायेगी।

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
MPIDC
BHOPAL

17. ई–बिडिंग प्रक्रिया के सफल आवेदकों द्वारा निर्धारित समयावधि में बिड राशि जमा किये जाने की दशा में भू–आवंटन संबंधी समस्त शेष कार्यवाही प्रचलित भू–आवंटन नियमों के अनुसार की जायेगी।

18. ई–बिडिंग में भाग लेने वाले असफल निवेशकों को उनके द्वारा जमा की गई पूर्ण राशि (आवेदन शुल्क व GST काटकर) Mptender पोर्टल से वापिस कर दी जायेगी।

19. उक्त प्रक्रिया केवल औद्योगिक तथा वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक प्रयोजन के भूखण्डों पर लागू होगी।

20. ई–बिडिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भू–आवंटन प्रक्रिया संबंधी समस्त शेष जानकारी एमपीआईडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी।

21. ई–बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी भूखण्ड को शामिल करने अथवा न करने, अपरिहार्य कारणों से बिडिंग निरस्त या स्थगित करने, निर्धारित दिनांक को बदलने इत्यादि समस्त अधिकार प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी को होंगे।

22. उपरोक्त के अतिरिक्त भू–आवंटन संबंधी सामान्य निर्देश यथा एमपीआईडीसी के पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया, भुगतान से संबंधित इत्यादि का निर्धारण प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा किया जा सकेगा।

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
MPIDC
BHOPAL